

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)

कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिस्कोमान टावर में एक नये 20 पैसेन्जर का आधुनिकीयुक्त लिफ्ट लगाने हेतु अनुभवी व्यक्ति/फर्म से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

कोटेशन दिनांक 08.10.2013 को 3:00 बजे अपराह्न तक वरीय प्रभारी (रख-रखाव) के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा, जो उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों (यदि कोई उपस्थित हो) की उपस्थिति में समिति के समक्ष खोला जाएगा। जानकारी तथा शर्तें आदि बिस्कोमान के वेबसाईट www.biscomaun.co.in पर देखा जा सकता है।


प्रबन्ध निदेशक 24/10

बिहार राज्य. सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)


कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिस्कोमान टावर में एक नये 20 पैसेन्जर की क्षमता का लिफ्ट लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फॉर्म से मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन दो लिफाफों में क्रमशः तकनीकी कोटेशन एवं वित्तीय कोटेशन देना होगा। दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में बंद रहेगा तथा साफ-साफ अक्षरों में तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन लिखा होना अनिवार्य है। तकनीकी कोटेशन में सफल व्यक्ति/ फर्म की ही वित्तीय कोटेशन खोली जायेगी। कोटेशन की शर्तें निम्नवत है -

1. अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।
2. विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।
3. अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यन पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र।
4. पैन कार्ड/ वैट नं० की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।
5. कोटेशन स्वीकृति के पश्चात यदि कार्यादेश निर्गत किया जाता है तो ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) मात्र अग्रधन राशि (सूद रहित) जमा करना अनिवार्य है।
6. प्राप्त कोटेशन Negotiable होगा।
7. नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
8. बिना कारण बताए किसी/ सभी कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

विशेष जानकारी हेतु प्रभारी मुख्य अभियंत्रण सेवाए (मोवाईल सं०-09386595434) एवं वरीय प्रभार (एम) (मो० सं०- 9835088458) से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है।

कोटेशन दिनांक 08.10.2013 को 3.00 बजे अपराहन तक वरीय प्रभार (रख-रखाव) के कार्यालय (बिस्कोमान भवन, प्रथम तल) में प्राप्त किया जायगा जो उसी दिन 3.30 बजे अपराहन में कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों यदि कोई उपलब्ध रहे की अस्थिति में समिति के समक्ष खोला जायेगा।


प्रबन्ध निदेशक